राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2017 / 718 दिनांक 15/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व वाद सं. 111 / 2012 अनवान शेरखान वगैरा बनाम जुसब वगैरा में पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 29.6.17 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथराम आर.ए.एस.***

1.शेरखान 2.अलीखान 3.मीरखान पि.अमर 4.रसीदा पत्नि अमर जाति मुसलमान, निवासी मीठे का तला

बनाम

1.जुसब पुत्र असरफ 2.रहमतुल्लाह पुत्र अब्दुल करीम 3.हसणखां 4.हुसैनखां पि. ईनात जाति मुसलमान 5.डूंगराराम पुत्र गोरखाराम, जाति जाट, निवासी बींजासर 6. तहसीलदार सेड़वा।

वाद बाबत 188, RT Act.

मुकदमा नं. 206/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री शाकर खान** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री महेन्द्र चौधरी** एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि **वादीगण का वाद स्वीकार कर मौजा बींजासर, तहसील सेड़वा के खसरा सं. 369 रकबा 44.10 बीघा, खसरा सं. 370 रकबा 68.17 बीघा, कुल रकबा 113.07 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेश तक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 को एक दूसरे के खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।** .... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राप्ती तक .... को अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 29.6.17 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनागा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 111/2012

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 188, रा.का.अ.

अनवान वादीगण– 1.शेरखान 2.अलीखान 3.मीरखान
पि.अमर 4.रसीदा पत्नि अमर
जाति मुसलमान, निवासी मीठे का तला

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.जुसब पुत्र असरफ 2.रहमतुल्लाह पुत्र
अब्दुल करीम 3.हसणखां 4.हुसैनखां पि.
ईनात जाति मुसलमान 5.डूंगराराम पुत्र
गोरखाराम, जाति जाट, निवासी बींजासर
6. तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री शाकर खान**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री महेन्द्र चौधरी**

निर्णय

दिनांक :– 29.6.17

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा सं. 369 रकबा 44.10 बीघा, खसरा सं. 370 रकबा 68.17 बीघा, कुल रकबा 113.07 बीघा का मौजा बींजासर तहसील सेड़वा में आया हुआ है। वादीगण के खेत खसरा सं. 369 के पश्चिम सेढे पर प्रतिवादी सं. 1 से 4 का खातेदारी का खेत खसरा सं. 365 रकबा 93.14 बीघा का आया हुआ है। उक्त खेत वक्त सेटलमेन्ट से ही मौका पर लगभग 80 बीघा था परन्तु राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हो गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक लगभग 80.00 बीघा पर ही काश्त करते है। वर्तमान में भूमि की कीमते बढ़ने के कारण प्रतिवादी सं. 1 से 4 प्रतिवादी सं. 5 के बहकावे में आकर वादीगण का कदीमी कब्जा काश्त एवं रहवासी खेत के सेढों को तोड़कर दखलन्दाजी कर रहे है । वादीगण को कभी भी

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

उसकी खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल कर अतिक्रमण कर सकते है। अगर प्रतिवादी ऐसा करने में सफल हो जाते है तो वादीगण को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए वादीगण ने मौजा बींजासर के खेत खसरा सं. 369, 370 में प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 स्वयं या अन्यों के जरिये वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे न ही अनाधिकृत प्रवेश करे। इस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1, 3 से 5 की ओर से श्री श्रीराम चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण वकील द्वारा दस्तावेजों में नकल जमाबन्दी मौजा बींजासर के खसरा सं. 369, 370 , नकल नक्शा ट्रेस खसरा सं. 369, 370 मौजा बींजासर, नकल वर्तमान गिरदावरी संवत् 2066–2069 मौजा बींजासर की प्रमाणित प्रतिया न्यायालय में पेश की।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प बींजासर में दिनांक 29.06.17 को पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **बींजासर, तहसील सेड़वा के खसरा सं. 369 रकबा 44.10 बीघा, खसरा सं. 370 रकबा 68.17 बीघा, कुल रकबा 113.07 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में सक्षम न्यायालय के आदेश तक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 5 को एक दूसरे के खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की पालना सुनिश्चित करावे।** पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.17 को राजस्व लोक अदालत अभियानः न्याय आपके द्वार 2017 को न्यायालय कैम्प बींजासर मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन